

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2025—पौष 17, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025

PHME-0109-2024-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार (क), समूह 'क' चिकित्सा में, कॉलम (4) में, अनुक्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 में शब्द “चयन का आधार योग्यता-सह-वरिष्ठता होगा”, के स्थान पर, शब्द “चयन का आधार वरिष्ठता-सह-योग्यता होगा” स्थापित किए जाएं।

PHME-0109-2024-XVII-M-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-IV (A), Group 'A' Medical, in column (4), in serial numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, for the words "Basis of selection shall be merit-cum-seniority", the words "Basis of selection shall be seniority-cum-merit" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, अपर सचिव.